



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2005/वैशाख 21, 1927

No. 481]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2005/VAISAKHA 21, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2005

का.आ. 664(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाली नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रकार के उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट, बीजों की किस्म की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, संपूर्ण भारत के संबंध में दूर अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	धनिया	आर.सी.आर. 436
2.	सौंफ	आर.एफ.-101
3.	मटर	विवेक मटर-9
4.	शकरकन्द	श्री अरून
5.	शकरकन्द	श्री वरून
6.	फूलगोभी	पालम वाचित्रा
7.	फूलगोभी	पालम कंचन
8.	ब्रोकोली	पालम हरीतिका
9.	गाँठ गोभी	पालम टेन्डर नोब
10.	तुरई	अर्क सुमीत (आई.आई.एच.आर.-7)
11.	तुम्बा	मंशा मरूधावा (आर.एन.टी.-59, जी.पी.-59)
12.	टमाटर	टी.एच.-1
13.	प्याज	अपरिता (आर.ओ.-59)
14.	हल्दी	सोना
15.	हल्दी	वर्णा

[फा. सं. 17-12/2004-एस.डी. IV]

प्रेम नारायण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2005

**S.O. 664(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

TABLE

Sl. No.	Kind	Variety
1	2	3
1.	Coriander	Rcr.436
2.	Fennel	RF—101
3.	Pea	Vivek Matar-9
4.	Sweet Potato	Sree Arun
5.	Sweet Potato	Sree Varun
6.	Cauliflower	Palam Vachitra
7.	Cauliflower	Palam Kanchan
8.	Broccoli	Palam Haritica
9.	Knol khol	Palam Tender Knob
10.	Ridge gourd	Arka Suneet (IHR-7)
11.	Tumba	Mansha Marudhava (RNT-59, GP-59)
12.	Tomato	TH-1
13.	Onion	APRITA (RO-59)
14.	Turmeric	Sona
15.	Turmeric	Varna

[F. No. 17-12/2004-SD. IV]

PREMNARAIN, Jt. Secy.